न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर

प्रकरण संख्याः– 110/2018 (रैफरेन्स)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर जिला भरतपुर।

..... **प्रार्थी**

बनाम

घुसिंगा स्टोन क्रेशर ग्राम अलीपुर तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

1. चमेलीदेवी पत्नि बृजमोहन कौम मीना निवासी बालाहेडी तहसील महवा जिला दौसा।

प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 आदेश विरूद्ध उपखण्डाधिकारी वैर क्रमांक भू0रू0/07/163–66 दिनांक 23.1.2007

उपस्थित :

1. पैरोकार सरकार
2. श्री सुरेशचंद वकील अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक : 31.5.2018

प्रार्थी तहसीलदार भुसावर (भूमिधारी) द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का प्रस्तुत किया है कि खसरा नम्बर 568/99 रकबा 2.13 बीघा में से 4290 वर्गमीटर का रूपान्तरण तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी वैर के आदेश क्रमांक/रूपा0/07/163–66 दिनांक 23.1.2007 से किया गया था। जिसे भूमि रूपान्तरण नियमों के विपरीत पाये जाने के कारण भूमिधारी की हैसियत से यह रैंफरेंस वास्ते भू सम्परिवर्तन आदेश निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

जिसमें अंकित किया है कि विवादित संपरिवर्तित भूमि ग्राम अलीपुर तहसील भुसावर जिला भरतपुर में स्थित है और प्रार्थी/तहसीलदार लैण्ड होल्डर की हैसियत से रैंफरेंस प्रस्तुत करने में सक्षम है। खसरा नम्बर 568/99 रकबा 2.13 बीघा में से 4290 वर्गमीटर का रूपान्तरण तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी वैर के आदेश क्रमांक/ रूपा0/ 07/ 163–66 दिनांक 23.1.2007 से किया गया था । राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर की अधिसूचना दिनांक 2.4.2007 के बिन्दु संख्या 4 सी के अनुसार औद्योगिक रूपान्तरण आबादी से 1.5 कि0मी0 की त्रिज्या में दूरी होना आवश्यक है। इसके अलावा इस स्टोन क्रेंशर के पूर्व दिशा में ग्राम अलीपुर की आबादी 709 मीटर एवं पश्चिम में ग्राम जसवर की आबादी 1300 मीटर की दूरी पर है इसलिऐ ये क्रेशर आबादी से निर्धारित दूरी पर नहीं है। इसके अलावा मौके पर क्रेशर की चार दिवारी का निर्माण नहीं किया गया है। इस स्टोन क्रेशर पर कन्वेयर टीन शैड व वाटर कम्प्रेशर सिस्टम भी स्थापित नहीं है और न ही क्रेशर के एक तिहाई भाग में वृक्षारोपण किया गया है। इस

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

स्टोन क्रेशर के संचालित रहने से धूल मिट्टी उडती रहती है जिससे भारी मात्रा में वायु प्रदूषण होता है। तहसीलदार भुसावर द्वारा उपरोक्तानुसार रैफरेंस प्रार्थना पत्र प्रेषित कर निर्धारित मापदण्ड मुताबिक उक्त स्टोन क्रेशर स्थापित नहीं होने के कारण संपरिवर्तन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसिल किया गया। नियत दिनांक को उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई।

वकील अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये रैफरेंस में अंकित सभी तथ्यों को रिकार्ड एवं मौके से विपरीत होना जाहिर करते हुये अपनी बहस तर्कों में मुख्य कथन किया है कि वर्तमान में अप्रार्थी वर्णित भूखण्ड के एकमात्र स्वामी व मालिक हैं। अधिसूचना दिनांक 2.4.2007 रूपान्तरण आदेश के बाद की है जो इस रूपान्तरण पर लागू नहीं होती है। यह रूपान्तरण उस समय प्रचलित कानूनी प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मानक पूरे होने पर किया गया है जो आज भी विधिवत है। उनका यह भी कथन है कि विवादित आराजी का भूमि रूपान्तरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पर तत्कालीन तहसीलदार वैर व अन्य राजस्व कर्मचारी की चैक लिस्ट रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी के स्टोन क्रेशर का आबादी क्षेत्र से निर्धारित दूरी से अधिक दूरी पर स्थित होने के कारण ही भूमि का रूपान्तरण किया गया है। यह रैफरेंस यहां नियम विरूद्ध किया गया है इन्हें राजस्व अपील अधिकारी के यहां अपील करनी चाहिऐ थी या सिविल न्यायालय में दावा करना चाहिऐ था। रैफरेंस मैन्टेबल नहीं है। दौराने बहस प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा ग्राम अलीपुर की आबादी 709 मीटर एवं ग्राम जसवर की आबादी 1300 मीटर की दूरी पर स्टोन क्रेशर स्थित होना गलत बताया है। दिनांक 12.4.2007 को तहसीलदार वैर एवं पटवारी द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट में, जो क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल अलवर को भेजी गई है, में दूरी संबधी स्पष्ट उल्लेख है। इस मौका रिपोर्ट में जसवर की दूरी 2.6 कि0मी0 अलीपुर 2.2 कि0मी0, खोहरा की दूरी 2.5 कि0मी0 एवं सामन्तपुरा की की 2.7 कि0मी0 बतायी है। इसी आधार पर उपखण्ड अधिकारी वैर द्वारा दूरी बाबत प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है। दौराने रूपान्तरण तैयार चैक लिस्ट की बिन्दु संख्या 19 में प्रस्तावित स्थल को ग्राम अलीपुर को 2200 मीटर एवं ग्राम जसवर को 2600 मीटर एवं खोहरा को 2300 मीटर दूर माना हैं। इसके अलावा चैक लिस्ट की बिन्दु संख्या 26 में यह स्पष्ट किया गया है कि यह क्रेशर ईकाई ग्राम आबादी के 1.5 कि0मी0 अर्द्धव्यास में नहीं आती है। इस चैक लिस्ट पर स्वयं तहसीलदार वैर एवं पटवारी हल्का अलीपुर के हस्ताक्षर मौजूद है। बिन्दु संख्या 19 व 26 में उक्त स्थल को निर्धारित दूरी से अधिक माना है। इसके अलावा यह रूपान्तरण राज0 भू राजस्व (कृषि से अकृषि में प्रयोजनार्थ) भू सम्परिवर्तन नियम 1992 के तहत उक्त रिपोर्ट के आधार पर किया गया है जो तत्कालीन नियमों के परिपेक्ष्य में बाद जांच नियमानुसार पाये जाने पर ही किया गया है। वर्तमान में समस्त विधिक औपचारिकताऐं पूर्ण है तथा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल ने भी कोई एतराज नहीं किया है और ना ही क्रेशर से कोई प्रदूषण होना माना गया है। वास्तव में अप्रार्थी का स्टोन क्रेशर आबादी की निर्धारित दूरी से अधिक दूरी पर स्थित है। तहसीलदार भुसावर के द्वारा रैफरेंस प्रार्थना पत्र में आबादी की गणना खेतों में बसे घरों की जाकर अपने प्रार्थना पत्र में अनियमितता होना अंकित किया गया है जबकि राजस्थान सरकार के राजस्व ग्रुप (6) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक प0. 10(8) राज–6/2001/6

जयपुर दिनांक 28.3.2007 एवं परिपत्र क्रमांक प.9(98) राज.6/2014/1 जयपुर दिनांक 28.4.2016 के द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान किये गये है। जिसमें दूरी मुख्य आबादी की बाहरी सीमा से गणना योग्य है। उनका यह भी कथन है कि वक्त भूमि रूपान्तरण आदेश तिथि को गांव की मुख्य आबादी से निर्धारित दूरी पर ही मौके पर स्थित होने के कारण ही चैक लिस्ट रिपोर्ट के अनुसार रूपान्तरण किया गया है। प्राधिकृत अधिकारी उपखण्डाधिकारी वैर के आदेश भूमि रूपान्तरण के विरूद्ध रैफरेंस प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जावे। अप्रार्थी के द्वारा नियमों के अंतर्गत ही स्टोन क्रेशर का संचालन किया जा रहा है। अतः प्रस्तुत रैफरेंस प्रार्थना पत्र मौके के विपरीत अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा राजकीय अभिभाषक एवं वकील अप्रार्थी की बहस तर्कों पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा इस प्रकरण में मुख्यतः बिन्दु जो उठाये है वह रूपान्तरित भूमि का आबादी से निर्धारित दूरी पर न होना, मौके पर क्रेशर की चार दिवारी कन्वेयर टीन शैड व वाटर कम्प्रेशर सिस्टम वृक्षारोपण का अभाव एवं क्रेशर से वायु प्रदूषण होना माना है। रूपान्तरण आदेश पारित करने वाले प्राधिकृत अधिकारी (एसडीओ) वैर ने दौराने रूपान्तरण तहसीलदार वैर द्वारा तैयार चैक लिस्ट के बिन्दु संख्या 19 एवं 26 में उक्त स्थल की दूरी को आबादी से निर्धारित दूरी से अधिक होना ही स्पष्ट किया है। इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि दौराने पारित रूपान्तरण आदेश तत्कालीन तहसीलदार द्वारा उक्त रूपान्तरित स्थल को आबादी से निर्धारित दूरी से अधिक माना है। इस चैक लिस्ट पर तहसीलदार वैर के भी हस्ताक्षर मौजूद है। साथ ही चैक लिस्ट पर उपखण्डाधिकारी वैर द्वारा बाद जांच एवं मौका निरीक्षण इस रूपान्तरण की कार्यवाही की गई है। यह तथ्य चैक लिस्ट के बिन्दु संख्या 19 व 26 में स्पष्ट प्रमाणित किया है कि प्रस्तावित प्लांट से कोई भी आबादी निर्धारित दूरी के दायरे में नहीं आती है। साथ ही प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल अलवर को भेजी गई रिपोर्ट एवं एसडीओ वैर द्वारा जारी प्रमाण पत्र में दूरी निर्धारित दूरी से ज्यादा होना जाहिर है। इस प्रकार दौराने पारित रूपान्तरण आदेश तैयार चैक लिस्ट से वर्तमान रिपोर्ट का परस्पर विरोधाभासी होना स्पष्ट जाहिर हो रहा है। ऐसी स्थिति में वर्ष 2007 में नियमानुसार औपचारिकताऐं पूर्ण कर जारी रूपान्तरण आदेश में अंकित प्रस्तावित भूमि की दूरी पर आज प्रश्नचिन्ह लगाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। इस संदर्भ में राजस्थान सरकार के राजस्व ग्रुप (6) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक प0. 10(8) राज–6/2001/6 जयपुर दिनांक 28.3.2007 एवं परिपत्र क्रमांक प.9(98) राज.6/2014/1 जयपुर दिनांक 28.4.2016 के द्वारा भी आबादी की गणना के संबध में स्पष्ट किया है कि आबादी की दूरी की गणना गांव की मुख्य आबादी से होगी न कि गांव की ढाणी अथवा मजरे से। यह दूरी दौराने पारित आदेश के वक्त देखी जानी होती है। इस प्रकरण में भी दौराने रूपान्तरण आदेश एसडीओ/तहसीलदार द्वारा उक्त स्थल को आबादी से 2 कि0मी0 से ज्यादा दूरी पर होना ही माना गया है। यह रूपान्तरण आदेश राज0 भू राजस्व (कृषि से अकृषि में प्रयोजनार्थ) भू सम्परिवर्तन नियम 1992 के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में नियमानुसार निर्धारित तय दूरी होने पर ही उक्त आदेश पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त रूपान्तरण आदेश के परिपेक्ष्य में जो नामान्तरकरण खोला गया है उसे भी अभी तक कोई चुनौती नहीं दी गई है। जहां तक प्रदूषण एवं अन्य मानदण्डों की बात है उसके लिये रैफरेंसकर्ता राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल को लिखने हेतु स्वतन्त्र है । पर्यावरण प्रदूषण संबधी कानून एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 दोनो ही अपने आप

पृथक–पृथक सारगर्भित एवं परिपूर्ण कानूनी प्रक्रियाऐं है जिन्हें एक साथ मिला कर देखा जाना विधिसम्मत एवं न्यायोचित नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन रैफरेंस विरोधाभासी तथ्यों के कारण स्वीकार योग्य नहीं रहता है।

अतः प्रार्थनापत्र रैफरेंस उपरोक्त विवेचनानुसार इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। तहसीलदार (रैफरेंसकर्ता) भुसावर स्वयं के स्तर पर दूरी संबधी जांच कर यदि कोइ विरोधाभास पाया जाये तो नये सिरे से कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगें। रैफरेंस प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.5.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(ओ0पी0जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official